

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी-3-11/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्यप्रदेश

विषय:- शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में ।


संदर्भ:- इस विभाग के ज्ञाप क० 46/91/1/3/79 दि० 28.1.79 , क०383/432/1/3/79 दिनांक 24.08.79 , क० 408/629/1/3/79 दिनांक 27.09.79, क० 473/629/1/3/79 दिनांक 20.11.79, क०102/79/1/3 /80 दिनांक 20.02.80 , क० 299/324/1/3 /81 दिनांक 20.07.81, क० 628/848/1/3 /81 दिनांक 22.12.81, क० सी-3-44/83/3/1 दिनांक 13.01.84, क०सी-3-19/84/3/1 दिनांक 27.06.84 , क० सी-3-14/88/3/1 दिनांक 21.04.88 , क० सी-3-13/95/3/1 दिनांक 25.07.95, एवं क०सी-3-9/2001/1/3 दिनांक 25.07.2001 /07.08.2001

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों की पूर्व व्यवस्था में निम्नानुसार परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है :-

- (1) एक जीवित संतान के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबंदी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धि दिये जाने संबंधी सुविधा यथावत रहेगी ।
- (2) दो जीवित संतान के पश्चात् नसबंदी कराये जाने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि की सुविधा तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है ।
- 2/ ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे ।

3/ वित्त विभाग के जाबक क्र० 228/119/17/वित्त/नियम/चार दिनांक 07.02.17 द्वारा दी गई सहमति के अनुक्रम में यह निर्देश जारी किये जा रहे हैं।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(सी०बी०पडवार)


उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी-3-11/2016/1/3
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2017

1. राज्यपाल के सचिव म०प्र०राज भवन भोपाल ।
 2. महालेखाकार, मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल ।
 3. रजिस्टार जनरल, उच्च न्यायालय म०प्र०जबलपुर ।
 4. प्रमुख सचिव /सचिव, मुख्य मंत्री कार्यालय, म०प्र० ।
 5. मान० मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म०प्र० ।
 6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म०प्र० भोपाल ।
 7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल ।
 8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल
 9. प्रमुख सचिव /सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण) म०प्र०शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
 10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल ।
 11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्य प्रदेश भोपाल ।
 12. सचिव, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन, भोपाल ।
 13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल ।
 14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर ।
 15. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय मध्य प्रदेश शासन, भोपाल ।
 16. महाधिवक्ता /उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर /ग्वालियर ।
 17. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल ।
 18. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश ।
 19. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल ।
 20. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल ।
 21. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, भोपाल ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
“मंत्रालय”

क्रमांक सी-3-9/2001/1/3

भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2001.

07-08-2001.

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय:—शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत नसबंदी कराने के फलस्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतन वृद्धियों के संबंध में.

सन्दर्भ:—इस विभाग के ज्ञाप क्र. 46/91/1(3), 79, दिनांक 29-1-79, क्र. 383/432/1/3/79, दिनांक 24-8-79, क्र. 408/629/1(3)79, दि. 27-9-79, क्र. 473/629/1(3)79, दि. 20-11-79, क्रमांक 102/79/1(3)80, दिनांक 20-2-80, क्र. 299/324/1(3)81, दि. 20-7-81, क्र. 628/846/1(3)81, दिनांक 22-12-81, क्र. सी-3/44/83/3/1, दि. 13-1-84, क्र. सी-3/19/84/3/1, दि. 27-6-84, क्र. सी-3/14/86/3/1, दि. 21-4-88 एवं सी-3/13/95/3/1, दिनांक 25-7-95.

राज्य शासन द्वारा परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत शासकीय सेवकों द्वारा स्वयं या पति/पत्नी की नसबन्दी कराने पर प्रोत्साहन स्वरूप दी जाने वाली अग्रिम वेतनवृद्धियों की पूर्व व्यवस्था में निम्नानुसार परिवर्तन करने का निर्णय लिया गया है :-

- (1) एक जीवित बच्चे के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबन्दी कराने पर दो अग्रिम वेतन वृद्धियां स्वीकृत की जायेंगी.
 - (2) दो जीवित बच्चों के बाद स्वयं या पति/पत्नी की नसबन्दी कराने पर एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकृत की जायेगी.
2. ये निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होंगे.
 3. यह आदेश वित्त विभाग के पृ. क्र. 1453/5/1869/सी/चार, दि. 31-7-2001 द्वारा महात्मेखाकार को पृच्छांकित किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-

(एम्. के. बर्मा)

अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.